न्यायालय सिविल जज, सीनियर डिवीजन, वाराणसी।

वाद संख्या-693 सन्- 2021

श्रीमती राखी सिंह व अन्य----------वादिनीगण।

बनाम

उत्तर प्रदेश सरकार वगैरह----------प्रतिवादीगण।

दिनांक-14.05.2022

-: कमीशन रिपोर्ट :-

अधोहस्ताक्षरकर्ता को वर्तमान मुकदमा में मा0 न्यायालय द्वारा मा0 न्यायालय के आदेश दिनांक 12.05.2022 के द्वारा विशेष अधिवक्ता आयुक्त नियुक्त किया गया है एवं उसी दिन मा0 न्यायालय से रिट प्राप्त करके कमीशन की कार्यवाही दिनांक 14.05.2022 को प्रातः 08-बजे से शुरू करने हेतु वादिनीगण के अधिवक्तागण एवं प्रतिवादीगण के अधिवक्तागण को सूचित किया गया और कमीशन की कार्यवाही हेतु अधोहस्ताक्षरकर्ता मौके पर दिनांक 14.05.2022 को प्रातः 08-बजे पहुंचा, जहाँ वादिनीगण और वादिनीगण के अधिवक्तागण एवं प्रतिवादीगण के अधिवक्तगण उपस्थित मिले। कमीशन की कार्यवाही अधोहस्ताक्षरकर्ता ने दिनांक 14.05.2022 को सुबह 08-बजे प्रारम्भ किया गया और ज्ञानवापी परिसर के विवादित स्थल को वादिनीगण और प्रतिवादीगण के अधिवक्तागण ने शिनाख्त की।

विवादित परिसर में घुसकर मुकदमें के पक्षकारगण के सामने और फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी भी कराते हुए लोहे की करीब 20 फीट ऊँची पाईप की लगी बाड़ से करीब 03फीट प्रवेश करके अन्दर बायी तरफ घूमने पर 10 फीट आगे दाहिने तरफ तहखाना का दरवाजा था, जिसे वादी पक्ष व प्रतिवादी पक्ष की उपस्थिति में ताला श्री एजाज अहमद जो अपने को इन्तिजामिया कमेटी का मुन्शी बताया, उनके द्वारा समय 08 बजकर 16 मिनट पर तहखाने का दरवाजा खोला गया। दरवाजे में भूनासी लगा था, लेकिन भूनासी सही न होने के कारण बैन से हैण्डल में लगाकर ताला लगाया गया था। दरवाजे आधे खुले थे। उक्त सम्पूर्ण कार्यवाही की वीडियोग्राफी व फोटोग्राफी करायी गयी। ताला खुलने के बाद विशेष कमिश्नर आयुक्त व वादीगण एवं प्रतिवादीगण तथा उनके अधिवक्तागण अन्दर गये, अन्दर जाने पर दरवाजे के सटे लगभग 02 फीट बाद दीवाल पर जमीन से लगभग 03 फीट ऊपर पान के पत्ते के आकार की फूल की आकृति बनी थी, जिसकी संख्या 06 थी और तहखाने के अन्दर देखा गया कि उसमें 04 दरवाजे थे उसके स्थान पर नयी ईट लगाकर उक्त दरवाजों को बन्द कर दिया गया था तथा तहखाने में 04-04 खम्भे पुराने तरीके के थे, जिसकी ऊँचाई लगभग 08-08 फीट थी तथा नीचे से लेकर ऊपर तक घण्टी, कलश, फूल के आकृति पिलर के चारो तरफ बने थे। बीच में 02-02 नये पिलर नये ईटे से बनाये गये थे, जिसकी भी वीडियोग्राफी व फोटोग्राफी करायी गयी। एक खम्भे पर पुरातन हिन्दी भाषा में सात लाईने से खुदा हुआ था जो पढने योग्य नहीं थे, उसकी भी वीडियोग्राफी व फोटोग्राफी करायी गयी और एक लगभग 02 फीट का दफ्ती का भगवान का फोटो दरवाजे के बाये तरफ की दीवाल के पास जमीन पर पड़ा हुआ था जो मिट्टी से सना हुआ था। तहखाने के सभी दीवाल व पिलर पानी से भींगे हुए थे तथा लगभग 02-03 ट्राली मलवों और लगभग 100 नई ईट टाटा मार्का के थे वे जमीन पर बेतरीके पडे थे, जिसकी भी वीडियोग्राफी व फोटोग्राफी करायी गयी। तहखाने के एक तरफ जमीन पर 9 फीट, 7 इंच ×04 फीट, 7 इंच के पत्थर का टुकड़ा पड़ा हुआ था व गिली मिट्टी का ढेर भी तहखाने के अन्दर पाया गया, जिसकी भी वीडियोग्राफी व फोटोग्राफी करायी गयी। 8 बजकर 56 मिनट पर श्री एजाज अहमद के द्वारा तहखाने का खोला गया ताला को बन्द किया गया, जिसकी भी वीडियोग्राफी व फोटोग्राफी करायी गयी।

---2

में चूने लग जा रहे थे। अंजूमन के मुन्शी द्वारा उक्त ताले को 10 बजकर 25 मिनट पर बन्द किया गया, जिसकी भी वीडियोग्राफी व फोटोग्राफी करायी गयी।

इसके बाद मै तीसरे तहखाने के बगल चौथे तहखाने की चाभी अंजूमन के मुन्शी एजाज अहमद से मांगा तो चाभी न होने की बात कही गयी, तब मेरे आदेश पर मौजूद प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिया गया, जिनके द्वारा कटर मशीन लायी गयी। उक्त कटर मशीन सभी पक्षगणों के समक्ष दिखाकर ताले को 10 बजकर 40 मिनट पर काटा गया तथा इस कमरे की लम्बाई 09 फीट, 09 इंच व चौड़ाई 07 फीट, 03 इंच पायी गयी और अन्दर आगे बढने पर एक कमरा ओर पाया गया, जिसकी लम्बाई 12 फीट, 09 इंच व चौडाई 10 फीट, 04 इंच पाया गया। इस तहखाने में भी अन्दर चुने सफेद रंग की साफ सुथरी रंगाई–पोताई मिली, जिसे 10 बजकर 47 मिनट पर दूसरा नया ताला लगाकर एजाज अहमद द्वारा बन्द किया गया, जिसकी भी वीडियोग्राफी व फोटोग्राफी करायी गयी।इसके बाद आगे बढने पर एक बिना दरवाजे का छोटा तहखाना पाया गया, जिसकी बाहर–बाहर लम्बाई 15 फीट व चौडाई 14 फीट, 07 इंच का पाया गया जो कि घुसने योग्य नही था मलवे से पटा था।

पश्चिमी दीवाल के बाहर पुरानी 03 चौकोट आकृतियॉ जमीन पर उत्तर–पश्चिम के कोने में स्थित थी, जिस पर प्रतिवादी सं0 4 के अधिवक्ता द्वारा ध्यान आकृष्ट कराते हुए 03 कब्र बताया गया। परन्तु वादीगण द्वारा कहा गया कि पुराना चबूतरा और पत्थर है।

पश्चिमी दीवाल विवादित स्थल पर हाथी के सूड की टूटी हुई कलाकृतियां और दीवाल के पत्थरो पर स्वास्तिक व त्रिशूल व पान के चिन्ह व उसकी कलाकृतियां बहुत अधिक भाग में खुदी हुई है। इसके साथ घंटीया जैसी कलाकृतियॉ भी खुदी है ये सब कलाकृतियां प्राचीन भारतीय मंदिर शैली के रूप में प्रतीत होती है जो काफी पुरानी है, जिसमें से कुछ कलाकृतियां टूट गयी है।

पश्चिम दीवाल के बारे में वादी के अधिवक्ता श्री हरिशंकर जैन के द्वारा इंगित किया गया कि दीवाल के बाहर पश्चिम दिशा की तरफ बाहर उभरे हुए आर्क विश्वेश्वर मंडप के पीछे के ऐश्वर्य मंडप के भाग है। वीडियोग्राफी कराते हुए यह स्पष्ट होता है कि दो बड़े खंभे व आर्क मस्जिद की पश्चिमी दीवाल के पीछे बाहर की तरफ निकले हुए स्पष्ट दिख रहे है। यह खंभे व आर्क बीच में खंडित है। इन्हीं दोनो खंभो व आर्क के दाहिने व बायें जिग–जैग दीवारे भी स्पष्ट दिख रहे है जैसे बीच में से ही खंडित कर दी गई हो। वादी पक्ष द्वारा इसे उत्तर में भैरव व दक्षिण मे गणेश मंदिर की दीवारे बताई गई। प्रतिवादी सं0 4 द्वारा इसका विरोध किया गया। वादी पक्ष द्वारा यह मांग की गई कि दीवाल के बीच पड़े मलवे के ढेर को हटाया जाये व बचे हुए मंदिर के अवशेष निकाले जाएं। कमीशन के द्वारा केवल वस्तुस्थिति की वीडियोग्राफी करायी जा सकती है जो करायी गयी।

मेरे द्वारा वादीगण के कहने पर 10 बजकर 58 मिनट पर एक अन्य तहखाने के दरवाजे का ताला इन्तिजामिया के मुन्शी श्री एजाज अहमद के द्वारा खोला गया, जिसमें कि ऊपर के तरफ जाने की सीढ़ी है, जिसकी चौड़ाई लगभग 02 फीट थी जिससे चढ़कर उभयपक्षगण व मैं ऊपर गुम्बद की छत पर गया। ऊपर पहुंचने पर जूता–चप्पल निकालने के बाद प्रवेश करने पर कड़ी धूप के कारण फर्स गर्म होने से चलना सम्भव नहीं था, इसलिए 11 बजकर 55 मिनट पर इन्तिजामिया के मुन्शी श्री एजाज अहमद द्वारा सीढ़ी से सभी पक्षगण को नीचे आने के बाद तहखाने का ताला बन्द किया, जिसकी वीडियोग्राफी व फोटोग्राफी करायी गयी।

इस प्रकार कमीशन की कार्यवाही स्थगित की गई और कमीशन की अगली कार्यवाही दिनांक 15.05.2022 की सूचना सभी पक्षगणों को दिया गया कि पुनः प्रातः 08बजे से कमीशन कार्यवाहीकिया जायेगा।

——4

[illegible]

[illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

—2

[illegible]

1. [illegible]
2. [illegible]
3. [illegible]
4. [illegible]
5. [illegible]
6. [illegible]
7. [illegible]
8. [illegible]

[illegible]

मे चूने लग जा रहे थे। अंजूमन के मुन्शी द्वारा उक्त ताले को 10 बजकर 25 मिनट पर बन्द किया गया, जिसकी भी वीडियोग्राफी व फोटोग्राफी करायी गयी।

इसके बाद मै तीसरे तहखाने के बगल चौथे तहखाने की चाभी अंजूमन के मुन्शी एजाज अहमद से मागा तो चाभी न होने की बात कही गयी, तब मेरे आदेश पर मौजूद प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिया गया, जिनके द्वारा कटर मशीन लायी गयी। उक्त कटर मशीन सभी पक्षगणों के समक्ष दिखाकर ताले को 10 बजकर 40 मिनट पर काटा गया तथा इस कमरे की लम्बाई 09 फीट, 09 इंच व चौडाई 07 फीट, 03 इंच पायी गयी और अन्दर आगे बढने पर एक कमरा ओर पाया गया, जिसकी लम्बाई 12 फीट, 09 इंच व चौडाई 10 फीट, 04 इंच पाया गया। इस तहखाने मे भी अन्दर चूने सफेद रंग की साफ सुथरी रंगाई–पोताई मिली, जिसे 10 बजकर 47 मिनट पर दूसरा नया ताला लगाकर एजाज अहमद द्वारा बन्द किया गया, जिसकी भी वीडियोग्राफी व फोटोग्राफी करायी गयी।इसके बाद आगे बढने पर एक बिना दरवाजे का छोटा तहखाना पाया गया, जिसकी बाहर–बाहर लम्बाई 15 फीट व चौडाई 14 फीट, 07 इंच का पाया गया जो कि घुसने योग्य नही था मलवे से पटा था।

पश्चिमी दीवाल के बाहर पुरानी 03 चौकोट आकृतियॉ जमीन पर उत्तर–पश्चिम के कोने में स्थित थी, जिस पर प्रतिवादी सं0 4 के अधिवक्ता द्वारा ध्यान आकृष्ट कराते हुए 03 कब्र बताया गया। परन्तु वादीगण द्वारा कहा गया कि पुराना चबूतरा और पत्थर है।

पश्चिमी दीवाल विवादित स्थल पर हाथी के सूड की टूटी हुई कलाकृतियां और दीवाल के पत्थरो पर स्वास्तिक व त्रिशूल व पान के चिन्ह व उसकी कलाकृतियां बहुत अधिक भाग में खुदी हुई है। इसके साथ घंटीया जैसी कलाकृतियॉ भी खुदी है ये सब कलाकृतियां प्राचीन भारतीय मंदिर शैली के रूप में प्रतीत होती है जो काफी पुरानी है, जिसमें से कुछ कलाकृतियां टूट गयी है।

पश्चिम दीवाल के बारे में वादी के अधिवक्ता श्री हरिशंकर जैन के द्वारा इंगित किया गया कि दीवाल के बाहर पश्चिम दिशा की तरफ बाहर उभरे हुए आर्क विश्वेश्वर मंडप के पीछे के ऐश्वर्य मंडप के भाग है। वीडियोग्राफी कराते हुए यह स्पष्ट होता है कि दो बड़े खंभे व आर्क मस्जिद की पश्चिमी दीवाल के पीछे बाहर की तरफ निकले हुए स्पष्ट दिख रहे है। यह खंभे व आर्क बीच में खंडित है। इन्हीं दोनो खंभो व आर्क के दाहिने व बायें जिग–जैग दीवारे भी स्पष्ट दिख रहे है जैसे बीच में से ही खंडित कर दी गई हो। वादी पक्ष द्वारा इसे उत्तर में भैरव व दक्षिण में गणेश मंदिर की दीवारे बताई गई। प्रतिवादी सं0 4 द्वारा इसका विरोध किया गया। वादी पक्ष द्वारा यह मांग की गई कि दीवाल के बीच पड़े मलवे के ढेर को हटाया जाये व बचे हुए मंदिर के अवशेष निकाले जाएं। कमीशन के द्वारा केवल वस्तुस्थिति की वीडियोग्राफी करायी जा सकती है जो करायी गयी।

मेरे द्वारा वादीगण के कहने पर 10 बजकर 58 मिनट पर एक अन्य तहखाने के दरवाजे का ताला इन्तिजामिया के मुन्शी श्री एजाज अहमद के द्वारा खोला गया, जिसमें कि ऊपर के तरफ जाने की सीढी है, जिसकी चौडाई लगभग 02 फीट थी जिससे चढकर उभयपक्षगण व मैं ऊपर गुम्बद की छत पर गया। ऊपर पहुंचने पर जूता–चप्पल निकालने के बाद प्रवेश करने पर कड़ी धूप के कारण फर्स गर्म होने से चलना सम्भव नहीं था, इसलिए 11 बजकर 55 मिनट पर इन्तिजामिया के मुन्शी श्री एजाज अहमद द्वारा सीढ़ी से सभी पक्षगण को नीचे आने के बाद तहखाने का ताला बन्द किया, जिसकी वीडियोग्राफी व फोटोग्राफी करायी गयी।

इस प्रकार कमीशन की कार्यवाही स्थगित की गई और कमीशन की अगली कार्यवाही दिनांक 15.05.2022 की सूचना सभी पक्षगणों को दिया गया कि पुनः प्रातः 08बजे से कमीशन कार्यवाहीकिया जायेगा।

----4

अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा कल दिनांक 14.05.2022 को 12 बजे दोपहर कमीशन की कार्यवाही स्थगित की गयी। उस कमीशन की कार्यवाही को आज जारी रखते हुए और पक्षकारगण के अधिवक्तागण की मौजूदगी में फोटोग्राफर एवं वीडियोग्राफर के साथ आज दिनांक 15.05.2022 को सुबह 8 बजकर 15 मिनट पर विवादित स्थल के ऊपर जाने वाली सीढी के दरवाजा का ताला अंजूमन इन्तिजामिया मस्जिद के इन्तिजामेकार श्री एजाज अहमद द्वारा खोला गया।

विवादित परिसर में सीढ़ी पर चढ़ने के बाद सबसे पहले उत्तर दिशा में गुम्बद के अन्दर घुसकर देखा गया (जिसमें घुसने के स्थान की दिशा दक्षिण–पश्चिम में है) तो वहाँ पर अन्दर से ऊपरी गुम्बद के साढ़े 08 फीट नीचे शंकुकार (कोनिकल) शिखर नुमा आकृति मिली जिसकी ऊँचाई 2.5 फुट तथा व्यास लगभग 18 फुट है। यह भी पाया गया कि बाहरी गुम्बद की दीवाल की मोटाई 2.5 फीट तक है। गुम्बद के अन्दर 03 फुट चौड़ा रास्ता गोलाकार अन्दर के शिखर के चारो तरफ है। इस प्रकार मस्जिद के बाहर से दिखने वाले उत्तरी गुम्बद के भीतर शंकुकार शिखर नुमा स्ट्रक्चर है।

तत्पश्चात् केन्द्रीय मुख्य गुम्बद जिसमें घुसने का स्थान उत्तर–पश्चिम में है और जिसमें जाने के लिए सीढी की आवश्यकता है एवं सीढी की व्यवस्था होने पर उसके अन्दर भी घुसने पर पाया गया कि इसमें भी गुम्बद के नीचे एक अन्य शंकुकार शिखर नुमा स्ट्रक्चर कायम है और उसी के ऊपर और उसके बाद ही मस्जिद का बाहर से दिखने वाला गुम्बद बनाया गया है। बाहरी गुम्बद के अन्दर का व्यास 28 फुट है, जिसमें 03 फुट की गैलरी है। अन्दर के शंकुकार शिखर की ऊँचाई लगभग 2.5 फुट तथा नीचे का व्यास 22 फुट है।

अन्त में दक्षिण दिशा में तीसरा गुम्बद कायम है जिसमें अन्दर जाने पर एक पत्थर पाया गया जिसे कि गुम्बद में उतरने हेतु एक सीढी के रूप में प्रयोग होना प्रतीत होता है और उस तीसरे गुम्बद में भी 2.5 फुट चौडी दीवाल, 03 फुट की गैलरी व 2.5 फुट ऊँचा व लगभग 21 फुट बेस की व्यास की शिखर नुमा शंकुकार स्ट्रक्चर मिला। पत्थर पर फूल, पत्ती व कमल के फूल की कलाकृति मिली। इन तीनों बाहरी गुम्बद के नीचे पायी गयी तीन शंकुकार शिखरनुमा आकृतियों को वादी पक्ष द्वारा प्राचीन मंदिर की ऊपर के शिखर बताये गये, जिसे कि प्रतिवादी पक्ष के अधिवक्ता द्वारा गलत कहा गया।

इसी विवादित परिसर में मौका एवं दौराने कमीशन कार्यवाही बड़ा खंभा/बडी मिनार कहे जाने वाले स्थान का मुआयना भी वादीगण के अधिवक्ताओं के कहने पर किया गया जहाँ वादी पक्ष द्वारा यह ध्यान आकृष्ट कराया गया कि बडी मीनार के नीचे बनी सीढी के बगल में कुछ चीजें जो खुदी हुई है वह वादी पक्ष द्वारा मंत्र आदि लिखा बताया गया जबकि प्रतिवादी संख्या 4 के अधिवक्ता मुमताज अहमद ने बताया कि उक्त दीवाल पर बरी (सुरखी) व चूना का लेप लगा है जो अत्यन्त पुराना होने के कारण जगह–जगह से फटे के निशान पड़े है और इस कारण उनपर मंत्र आदि लिखे होने का भ्रम हो रहा है। इस खुदी हुई चीज को किसी भाषा विशेषज्ञ द्वारा ही जॉच करके स्पष्ट किया जा सकता है।

बादहूँ मुस्लिम पक्ष की सहमति से मस्जिद के अन्दर का भी मुआयना किया गया तो पाया गया कि मस्जिद के अन्दर दीवाल पर स्वीच बोर्ड के नीचे त्रिशूल की आकृति पत्थर पर खुदी हुई पायी गयी और बगल में स्वास्तिक की आकृति आलमारी जिसे मुस्लिम पक्ष द्वारा ताखा कहा गया, में खुदी हुई पायी गयी।

इसी कार्यवाही के दौरान वादी पक्ष के अधिवक्ता श्री सुभाष नन्दन चतुर्वेदी और श्री विष्णु शंकर जैन ने बताया कि इस तरह की कई हिन्दू प्रतीक चिन्हों को इस विवादित परिसर में पूरी तरह और बावजूद प्रयास नहीं छिपाया जा सका है और उसमे से ऐसे कई चिन्ह हर तरफ स्पष्ट दिखायी दे रहे

---5

हैं और साथ ही यह भी दिखाया गया कि इस मस्जिद के अन्दर पश्चिमी दीवाल में वैसी ही और हाथी के सूड़नूमा आकृति का भी चिन्ह है और इन चिन्हों की दौराने कमीशन कार्यवाही की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी भी साथ–साथ करवाई गयी, जिस पर प्रतिवादी सं0 4 द्वारा आपत्ति की गयी है।

वादी के अधिवक्ता श्री हरिशंकर जैन, श्री विष्णु शंकर जैन व श्री सुधीर त्रिपाठी द्वारा ध्यान आकृष्ट किया गया कि History of Banaras by Prof. A.S. Altekar के द्वारा लिखी है और View of Banaras book by James Principe द्वारा किताबे लिखी गई है, उसमें छपे पुराने आदि विश्वशैश्वर मंदिर के ग्राउण्ड प्लान से पूरी तरह मिलता हुआ नक्शा जो उपरोक्त दोनो किताबों में दर्शाया गया है, वही मुख्य गुम्बद के नीचे है जहॉ नमाज अदा होती है। इस नक्शे की फोटोकॉपी उनके द्वारा मौके पर दी गई। उनके द्वारा इंगित किया गया कि मुख्य गुम्बद के नीचे चारो दिशाओं में दीवालों के जिग–जैग कट बने हुए है जो उतनी ही संख्या में है व शेप में है, जैसा किताब के नक्शे में है। इसी तरह से दो दिशा उत्तर व दक्षिण के गुम्बदो के नीचे नमाज अदा करने के स्थल की दीवालो के जिग–जैग कटकी शेप व संख्या भी उस नक्शे से मिलती है और इन्हीं में कुछ मूल मण्डप भी स्थित है। मस्जिद के मध्य नमाज के हाल तथा उत्तर व दक्षिण के हाल के मध्य जो दरवाजा नुमा आर्क बना है उसकी लम्बाई व चौड़ाई भी नक्शे के अनुरूप है। मस्जिद की छत पर बाहरी गुम्बदों के अन्दर त्रिशंकु शिखरनुमा आकृतियॉ इन्ही जिग–जैग दीवारो व खम्भो पर ऊपर टिकी हुई है। इसका विरोध प्रतिवादी सं0 4 द्वारा किया गया और इन सब बातों को काल्पनिक बताया गया। फोटोकॉपी नक्शे से दीवारों की शेप का मिलान करने पर पाया गया कि दोनो में पूरी समानता है, हालांकि उपरोक्त तथ्यों की सत्यता की जॉच किसी ख्यातिप्राप्त इतिहासकार के द्वाराकराया जाना उचित है। अन्दर की दीवारों की कलाकृतियों व मोटिफतथा उसकी बनावट प्राचीन भारतीय शैली जैसी कुछ–कुछ प्रतीत होती है।

बादहूँ वादी पक्ष के अधिवक्ता श्री सुधीर त्रिपाठी के कहने पर वहॉ पर बिछी दरी चटाई हटवाई गयी तो उसमें चुनार पत्थर की 02 फीट × 02 फीट आकार के पत्थर लगी जमीन कायम पायी गयी जिसे की ठोकने पर ठक–ठक की आवाज़ आ रही थी, जिसे ऐसा एहसास हो रहा था कि ये पत्थर मलवे आदि के ऊपर बिठाये गये है और नीचे आवाज खोखला की आ रही है जो अतिरिक्त जॉच का विषय है। इस बिन्दू पर प्रतिवादी नं0 4 के अधिवक्ता श्री एकलाख अहमद एडवोकेट द्वारा कहा गया कि यह पूरा ठोस है और फर्श के नीचे खोखला होने से हम मुस्लमानों में नमाज़ अदा करने की पाबंदी है। इसी कार्यवाही के दौरान वादी अधिवक्ता द्वारा कहा गया कि चारो कोने में मध्य के मिलने पर बना हुआ मण्डप जो कि 3 फीट ऊचा दिखाई दे रहा है, जो चारो दिशा में कायम है, जिसमें मन्दिरों में पायी जाने वाली कलाकृतियॉ बनी हैं, जो कि गिनने पर 08 की संख्या में पायी गयी, वे देव बिग्रह (मूर्ति) रखने के स्थान बने हुए हैं। प्रतिवादी संख्या 4 के अधिवक्ता श्री मुमताज अहमद ने बताया कि वह मुख्य गुम्बद के अन्दर का हिस्सा है इसी बीच प्रतिवादी के एक अन्य अधिवक्ता श्री रईस अहमद के अनुसार पुरानी मस्जिदों में ऐसे ही ताखा बनाया जाता था। बादहूँ कहा कि पुरानी इमारतों में इसी तरह बनता था जो कि देव बिग्रह रखने का स्थान नहीं है। इसी बीच श्री मिराजुद्दीन सिद्दीकी ने कहॉ कि शहर की कई अन्य मस्जिदों में भी बिलकुल इसी प्रकार का ताखा देखा जा सकता हैं। मुख्य गुम्बद के नीचे दक्षिणी खम्भे पर टगें कैलेण्डर के पीछे भी स्वास्तिक का चिन्ह मिला जो प्रतिवादी पक्ष द्वारा गलत बताया गया। इसी प्रकार मुख्य गुम्बद के प्रवेश द्वार से घुसते ही मस्जिद के इमाम के बैठने की जगह जो कि तीन सीढी ऊपर है उसके ऊपर बनी कलाकृति को मन्दिरों में पायी जाने वाली कलाकृति बताते हुए वादी पक्ष द्वारा ध्यान आकृष्ट कराया गया और उसी (इमाम) बैठने वाले स्थान के ऊपर ताखा में वादी पक्ष द्वारा त्रिशूल के खुदे हुए चिन्ह दिखाए गये, जिनकी वीडियोगाफी व फोटोग्राफी भी करायी गयी। इसी मस्जिद की पश्चिमी दीवाल पर बाई दिशा में दो कंगूरा टूटा और क्षतिग्रस्त है और पश्चिमी उत्तर कोना भी टूटा है यह वादी पक्ष द्वारा बताया गया। यहीं पर एक कोने में लगे स्वीच बोर्ड के पास त्रिशूल की कई आकृति मिलि जिसके अगल–बगल पेंट किया गया हैं फिर

———6

भी त्रिशूल आदि साफ दिखाई दे रहा है जिसके बारे में प्रतिवादी के अधिवक्तागण में से श्री तौहीदखान ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है और यह गलत है। बादहूँ मस्जिद के प्रथम गेट के पास जो उत्तर दिशा में है उस पर वादी के अधिवक्ता ने तीन डमरू के बने हुए चिन्ह दिखायी जिस पर प्रतिवादीगण में से प्रतिवादी संख्या 4 के अधिवक्ता श्री मोहम्मद तौहीद और श्री मुमताज अहमद ने गलत बताया। बादहूँ वादी पक्ष द्वारा प्रवेश द्वार से आगे पूर्वी दिशा के दीवाल पर लगभग 20 फीट ऊपर त्रिशूल के बने हुए निशान की तरफ ध्यान आकृष्ट कराया गया और उसकी भी फोटोग्राफी करायी गयी। उसके आगे भी लगभग सात फीट की ऊचाई पर दिखाई पड़ रहे त्रिशूल के निशान की तरफ भी वादी पक्ष ने घ्यान आकृष्ट कराया और मुख्य गुम्बद के दाहिने तरफ भी बने ताखा के अन्दर त्रिशूल खुदा हुआ मिला और उसकी भी फोटोग्राफी करायी गयी। मस्जिद के स्टोर रूम के बाहर की दीवाल पर भी स्वास्तिक का कई निशान कायम है और स्टोर रूम मस्जिद के दक्षिण–पश्चिम कोने पर करीब आठ गुणे दस फीट का है जिसके दरवाजे में सिर्फ भुन्नासी लाक लगा हुआ है जो कि मस्जिद के इन्तजामेकार श्री एजाज मोहम्मद ने 11:19 बजे खोलकर दिखाया और 11:23 पर पुनः भूनासी लॉक द्वारा दरवाजा बन्द किया गया तथा बादहू वादीगण के अधिवक्ता श्री सुभाष नन्दन चतुर्वेदी व श्री सुधीर त्रिपाठी द्वारा विवादित स्थल के पूरब–दक्षिण में व्यास जी का कमरा में सभी पक्षगण गये और दक्षिण दिशा में स्थित बास–बल्ली कायम थे, उनके बगल की मिट्टी गिली थी और पश्चिम दिशा में दरवाजा नुमा कायम है जो पत्थरो से बन्द किया गया है।

कमीशन कार्यवाही के दौरान वादी पक्षकार ध्यान आकृष्ट कराने पर एक तहखाना उत्तर–पश्चिम के कोने पर 15×15 फीट का था, जिसमें मलवॉ पड़ा हुआ था एवं पत्थर पर आकृतियॉ पायी गयी जो मंदिर की तरह प्रतीत हो रहा था तथा तहखाने के अन्दर फोटोग्राफी व वीडियोग्राफी भी लिया गया, जिसके अन्दर काफी जगह दिखाई पड़ा। यह कार्यवाही उभयपक्षगण के उपस्थिति में हुई।

विश्वनाथ मन्दिर के अधिवक्ता श्री रवि कुमार पाण्डेय और वादी पक्ष के अधिवक्ता श्री सुधीर त्रिपाठी द्वारा सामने वजू करने के स्थान बताये जाने के स्थान को दिखाते हुए उसके अन्दर और बीचो–बीच और पानी के करीब 6 इन्च नीचे कुए जैसे आकार की जगह दिखाते हुए ध्यान आकृष्ट कराया गया। तत्पश्चात वहॉ पहुचकर देखा गया कि वहॉ एक कुण्ड बना है जो करीब 03 फीट गहरा और पानी से पूरी तरह भरा हुआ है, जिसमें सैकडों मछलिया भी दिखाई दे रही है। इसके वजू करने के लिए तीन तरफ दस–दस टोटियॉ (नल) अर्थात कुल तीस टोटी लगी हुई है, इन टोटियों का पानी कुण्ड में बहता है। मौके पर विश्वनाथ मन्दिर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री सुनील वर्मा भी मौजूद है उनके सामने नगर निगम के कर्मचारी श्री सूरज नामक व्यक्ति को कुँए वाले स्थान पर कुण्डनुमा स्थान की दीवाल से कुँए जैसे दिखने वाले स्थान की दीवाल तक सीढ़ी को लिटाकर वहॉ तक पहुँचने का साधन बनाकर भेजा गया जिसमें कि उस कुँए नुमा स्थान के अन्दर और पानी में हाथ डालकर अपने हाथों से छू और टटोलकर कोई गोल पत्थरनूमा आकृति होने की बात बताई गयी। इसी बीच आज की कमीशन की कार्यवाही का समय 12:00 बजे तक ही होने के कारण और इस समय 11:50 हो जाने के कारण मौजूद भारी पानी का इतनी जल्दी हटवाना और कुँएनूमा गोलाकार जगह के भीतर बताए जा रहे गोलाकार पत्थर के बारे में और पुष्टीकरण करना समयाभाव के कारण सम्भव प्रतीत न होने से उस बारे में कल ही आगे की कार्यवाही करना सम्भव प्रतीत होने से आज की कार्यवाही आगे थोड़ी देर में स्थगित की गयी।

दिनांक 16–05–2022 को वादी और प्रतिवादीगण और उनके अधिवक्तागण की उपस्थिति में कमिशन की कार्यवाही सुबह 08:00 बजे शुरू की गयी। जिसमे वादी एवं प्रतिवादीगण के अधिवक्ता वस्वयं वादीगण तथा प्रतिवादी 1 लगायत 3 के प्रतिनिधि अपना–अपना हस्ताक्षर बनाये और सभी पक्षगण की उपस्थिति में उनके अधिवक्तागण की मौजूदगी में एक–एक प्रतिनिधि या तो अधिवक्ता या स्वयं पक्षकार ज्ञानवापी मस्जिद के प्रथम तंल पर सीढी चढकर और सभी लोग जूता–चप्पल गेट के पास निकाल कर अन्दर मस्जिद क्षेत्र की पूर्व दिशा में स्थित वजूखाना जो कि लोहे की जाली में तीन तरफसे बन्द था उस स्थल पर गये। वादीगण के अधिवक्ता द्वारा कमीशन की कार्यवाही के दौरान कोर्ट कमिश्नर का ध्यान आकृष्ट कराया गया कि इस कुण्ड के बीचो बीच भगवान शिव का शिवलिंग है । लगभग 8 बजकर 40 मिनट पर कुशल ड्राफ्टमैन वी0डी0ए0 द्वारा नन्दी से कुण्ड तक नाप की गयी जिसकी दूरी 83 फीट 3 इंच पाई गयी । तब वादी के अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि पानी के कुण्ड के बीचो–बीच में गोलाकार कुए की जगत जैसी जगह के बीच में पत्थर कायम है और उनके द्वारा कमिशन कार्यवाही हेतु ध्यान आकृष्ट कराया गया कि इसके बीचो–बीच भगवान शिव का शिवलिंग है।

इस दौरान कोर्ट कमीश्नर ने नगर निगम के एक कर्मचारी को सीढी लिटा कर बीचो–बीच भेजा और पानी कम कराकर मछलियों को सुरक्षित रखने हेतु मत्सय पालन अधिकारी को मौके पर बुलाकर सलाह ली गयी, उन्होने कहा कि 2 फीट तक पानी का लेबल रहने तक मछलियां जीवित रहेगीं। इस सलाह के अनुसार पानी कम किया गया तो काली गोलाकार पत्थरनुमा आकृति जिसकी ऊंचाई लगभग 2.5 फीट रही होगी दिखाई पड़ी। इसके टाप पर कटा हुआ गोलाकार डिजाईन का अलग सफेद पत्थर दिखाई पड़ा जिसके बीचो–बीच आधी इंची से थोडा कम गोल छेद था, जिसमे सींक डालने पर 63 सेमी गहरा पाया गया। इसकी गोलाकार आकृति की नापी की गयी तो बेस का व्यास लगभग 4 फुट पाया गया। दौरान कमीशन कार्यवाही वादी पक्ष के अधिवक्तागण इस गोलाकार काले पत्थर को शिवजी का शिवलिगं कहने लगे तब प्रतिवादी संख्या 4 के अधिवक्ता द्वारा कहा गया कि यह फव्वारा है। कमिशन के दौरान इसकी पूरी–पूरी फोटोग्राफी व विडियोग्राफी की गयी है, जो इस रिपोर्ट के साथ सील बन्द है। दौरान कोर्ट कमीशन कार्यवाही वकील कमिश्नर ने प्रतिवादी संख्या 4 अंजूमन इन्तिजामिया के मुंशी श्री ऐजाज मोहम्मद से पूछा कि यह फव्वारा कब से बन्द है तो बोले काफी समय से बन्द है और फिर कहे कि 20 वर्ष से बन्द है फिर बाद में कहे कि 12 वर्ष से बन्द है। वादी के अधिवक्ता द्वारा कहा गया कि दौरान कमिशन फव्वारा मुंशी जी चालू करके दिखावे तब मुंशी श्री ऐजाज अहमद ने असमर्थता जाहिर किया। उस आकृति की गहराई में बीचो–बीच सिर्फ आधे इंच से कम का एक ही छेद मिला जो 63 सेमी गहरा था और उसके अलावा कोई छेद किसी भी साइड में या किसी भी अन्य स्थान पर बावजूद खोजने पर नही मिला और फव्वारा हेतु कोई पाईप घुसाने का स्थान नही मिला जिसकी फोटोग्राफी व वीडियोग्राफी की गई। इसके बाद पूरे वजू के तालाब को नपवाया गया जो 33×33 फुट निकला इसके बीच में सभी किनारो से 7.5 फुट अन्दर एक गोलाकार घेरा आकृति कुए की जगत नुमा पायी गई । उसका बाहरी व्यास 7 फुट 10 इंच व अन्दर का व्यास लगभग 5 फुट 10 इंच है। इस गोल घेरे के भीतर लगभग ढाई फुट ऊँची व बेस पर 4 फुट व्यास की गोलाकार आकृति मिली जो शुरू में पानी में डूबी थी। इसके टाप पर लगभग 9×9इंच गोलाकार सफेद पत्थर अलग से लगा था जिसपर बीच से पॉच खॉचेपॉच दिशाओं में बनी थी। इस पत्थर के नीचे लगभग ढाई फुट ऊँची गोलाकार आकृति एक पीस दिख रही थी जिसकी सतह पर अलग प्रकार का घोल चढा हुआ प्रतीत हुआ जो थोडा–थोडा कहीं पर चटका हुआ भी था इसपर पानी में डूबे रहने के कारण काई जमी थी। काई साफ कराने पर काले रंग की आकृति निकली। वादीगण द्वारा इसे

———8

9.30
8

शिवलिंग कहा गया । सामान्य रूप से बडे शिवलिंग का जो आकार होता है वैसा ही इसका आकार प्रतीत होता है। परन्तु टाप पर अलग गोलाकार अलग मैटेरियल का पत्थर रखा गया है जिन पर पॉच–पॉच खाचे बने हुए हैं।

दौरान कमीशन की कार्यवाही जो वजू की टोंटियों के मध्य कुण्ड/तालाब है उसमें तीन फीट ऊचाई तक पानी था जिसमें से करीब एक से डेढ फीट पानी कम करके मध्य में स्थित गोलाकार घेरे के स्थान तक एक तरफ से दूसरी तरफ तक लेटी हुई सीढी और उसके ऊपर पटरा आदि लगाकर पहुच पाया सम्भव हुआ और तत्पश्चात उस गोलाकार घेरे के अन्दर मौजूद पानी को पम्प से बाहर निकलवा कर उसके एक छेद को अन्दर से कपडा डालकर बन्द करवाया गया ताकि तालाब/ कुण्ड का पानी उस गोलाकार घेरे के अन्दर न आ सके। तत्पश्चात गोलाकार घेरे के अन्दर से सफाई कर्मियों द्वारा पूरा पानी निकलवा देने पर नीचे ओवल शेप आकार की आकृति मिली जिसके ऊपरी छोर पर अलग पत्थर पर थोडा गोलाकार कटिंगनुमा डिजाइन मिली। इसकी काई हटवाई गई व बेस का पानी सुखे कपडे से सुखाया गया इसकी पूरी वीडियोग्राफी कराई गई।

वादहू वादीगण के अधिवक्ता द्वारा कमीशन की कार्यवाही के दौरान ध्यान आकृष्ट कराया गया कि पूर्वी दिशा वजू स्थल के स्थान के पीछे पूर्व में एक स्थान में नीचे उतरने का स्थान है इसकी पैमाईश की गयी जिसमें चार सीढी उतरकर उत्तर दिशा में 4 फीट 2 इंच चौडाई की गली कायम है जो कि उत्तर की तरफ नापने पर 28 फीट 9 इंच पायी गयी। इसमें पूर्व की तरफ दरवाजे के स्थान को ईट चिनाई से बन्द किया गया जो कि सीढी से करीब 4–5 फीट बाद है और उसके मुंह पूर्व की तरफ पत्थर की दीवार है जिसमें भी दरवाजा होने का आभाष होता है। मस्जिद के ऊपरी दालान (कोर्टयार्ड) के पूरब स्थित वजू स्थान पर दक्षिण में तीन शौचालय के बाद उत्तर दिशा के तरफ चलने पर एक बडा स्नानागार और उसके तीन और शौचालय स्थित है उसके वादहू करीब साढे 4 फीट चलने के बाद एक कुआ है जिसमें पानी मौजूद है जिसकी फोटोग्राफी–विडियोग्राफी करायी गयी है।

अन्त में वादीगण के अधिवक्ताओं द्वारा प्रथम तल पर तालाब के मध्य स्थित गोलाकार शिवलिंग नुमा आकृति के नीचे भूतल पर जमीन तक आकृति का अस्तित्व बताते हुए उसकी वीडियोग्राफी की मांग की गई। प्रतिवादी सं0 4 द्वारा इसका पुरजोर विरोध किया गया। कोर्ट कमिश्नर्स के द्वारा पूर्व के निरीक्षण व वीडियोग्राफी के आधार पर निष्कर्श निकाला गया कि इस गोलाकार आकृति के नीचे जमीन तक पहुंचना सम्भंव नहीं है, इसके नीचे जमीन का हिस्सा उत्तर व दक्षिण के तहखाने की दीवारो और पूर्व में तालाब की नीचे की दीवाल से कवर है। अतः इस स्थल पर दीवारो के अवरोध की वजह कमीशन की कार्यवाही वर्तमान में पूर्ण करना सम्भंव नहीं हो पाया।

दिनांकः–19.05.2022

(हस्ताक्षर) 19.5.2022
(विशाल सिंह)
अधिवक्ता,
विशेष कोर्ट आयुक्त,

संलग्नक –

1. कमीशन कारवाई दिनांक 14.05.2022 तीन वर्क
2. कमीशन कारवाई दिनांक 15.05.2022 दो वर्क
3. कमीशन कारवाई दिनांक 16.05.2022 दो वर्क
4. नक्शा वाराणसी विकास प्राधिकरण ~~एक~~ चार वर्क (हस्ताक्षर)
5. रिट दिनांक 12.05.2022 नौ वर्क
6. नक्सा एक वर्क
7. नक्सा एक वर्क
8. गवाही 14.05.2022 एक वर्क
9. गवाही 16.05.2022 एक वर्क
10. दिनांक 6, 7, 14, 15, 16 मई 2022 को हुयी वीडियोग्राफी व फोटोग्राफी के [illegible] तीन अदद अलग अलग [illegible] है

(हस्ताक्षर)

9395
12

Plan of the Ancient Temple of
VISHVESHVUR.

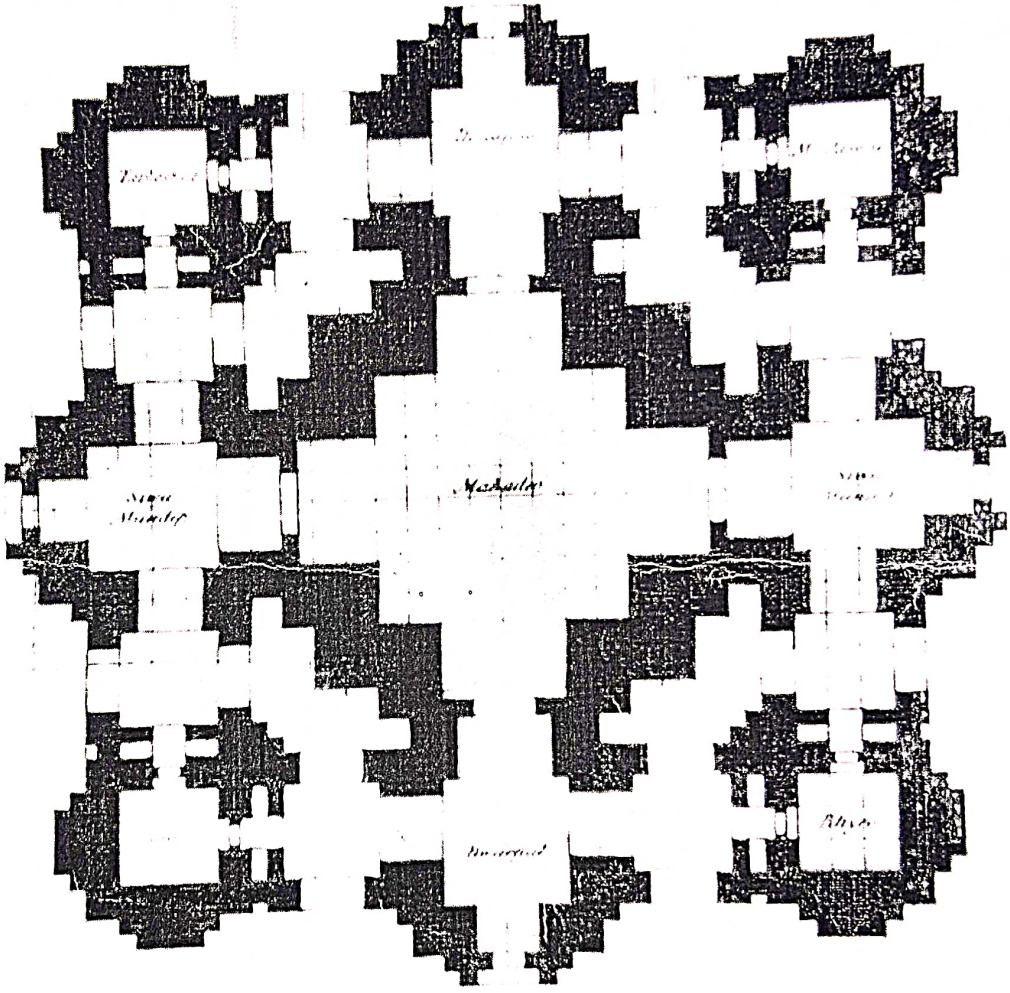

PLAN OF THE ANCIENT TEMPLE OF VISHVESHVUR

The dotted line shews the portion of the temple occupied by [illegible] Musjid

PLATE II

See page 51.

GROUND-PLAN OF THE TEMPLE OF VIŚVANĀTHA DEMOLISHED BY AURANGZEB.

Scale 1 inch = 40 feet.

Length of one square = 4 feet.

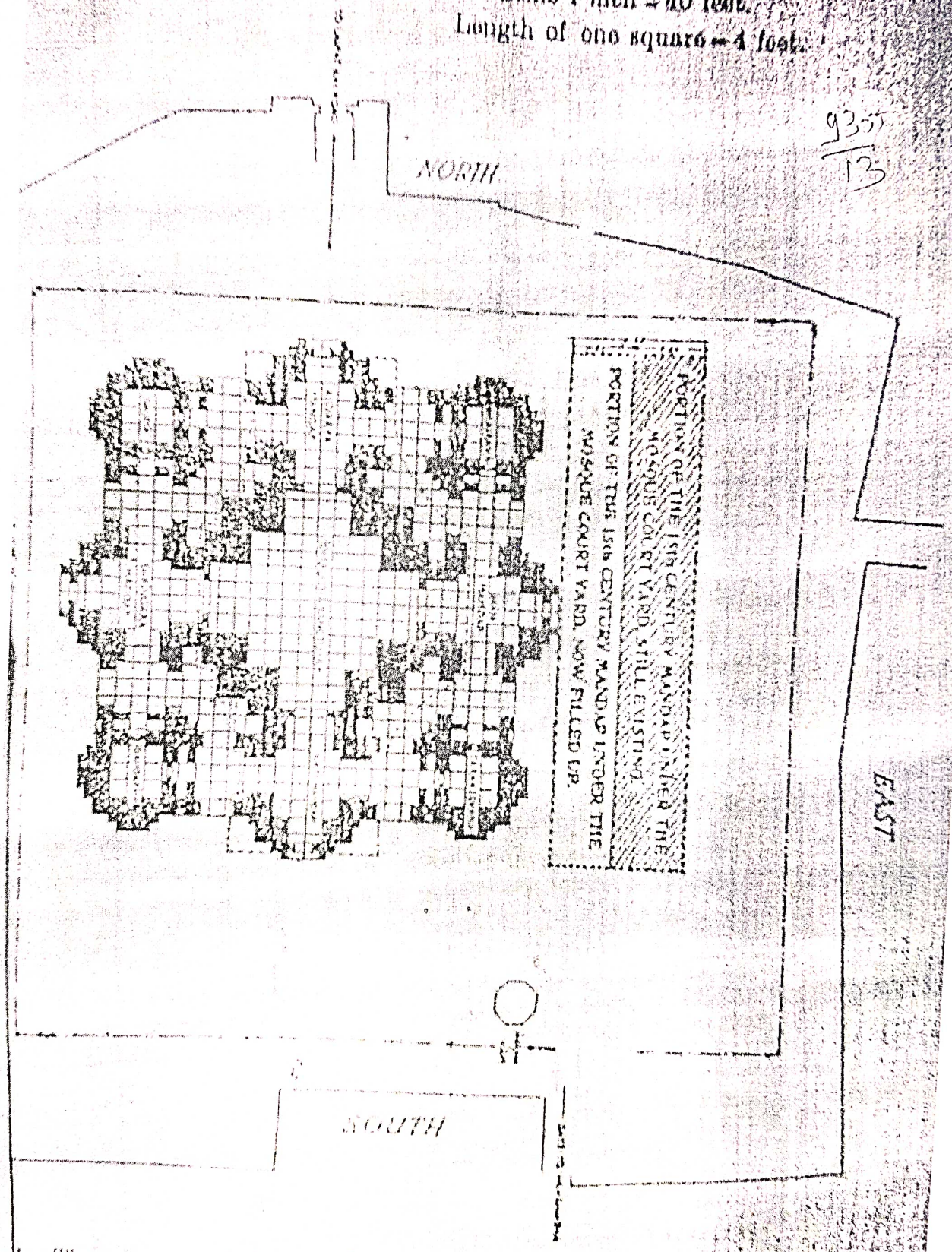

1. The mosque of Aurangzeb covers the area included within the dotted line and shown thus - - - - - - - - - -
2. The Pradakṣiṇā path is shown thus - - ——— - ———
3. The Nandi shrine was to the south of Muktimandap and to the west of Jñānavāpī.

न्यायालय श्रीमान् सिविल जज (सी0डी0) वाराणसी

मु0नं0–693 सन् 2021 राखी सिंह बनाम उत्तर प्रदेश सरकार वगैरह

कमीशन रिपोर्ट

माननीय न्यायालय के आदेश दिनांकः 18.08.2021 व आदेश दिनांकः 08.04.2022 के अनुपालन में मुझे अधोहस्ताक्षरी को दिनांकः 14.04.2022 को रिट प्राप्त हुआ जिसके उपरान्त मैं अधोहस्ताक्षर वकील कमीशन क्रमांक 29 अजय कुमार मिश्रा मुकदमा उपरोक्त में कमीशन कार्यवाही हेतु उभयपक्षगण 1–राखी सिंह, 2–लक्ष्मी देवी, 3–सीता साहू, 4–मंजू व्यास, 5–रेखा पाठक तथा विपक्षीगण 1–सरकार उत्तर प्रदेश जरीए मुख्य सचिव सिविल उत्तर प्रदेश, 2–श्रीमान जिलाधिकारी वाराणसी, 3–पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट, वाराणसी, 4–कमेटी मैनेजमेन्ट मुख्य प्रबन्धक अंजुमन इंतजामिया वाराणसी, 5–बाबा काशी विश्वनाथ ट्रस्ट सचिव वादीगण व प्रतिवादीगण को सूचित कर रहा हूं कि उभयपक्षगण अधिवक्ता मौके पर उपस्थित रहकर कमीशन कार्यवाही में सहयोग करें, ताकि न्यायालय के आदेश दिनांकः 18.08.2021 व 08.04.2022 के अनुपालन में कमीशन कार्यवाही समय से पूर्ण कर रिपोर्ट पत्रावली में दाखिल किया जा सके।

पूर्व सूचना के आधार पर पक्षगणों की उपस्थिति में कमीशन कार्यवाही दिनांकः 06.05.2022 दिन शुक्रवार सायं 03.30 बजे शुरू की गयी। प्रथम दिन की कार्यवाही सायं 05.45 तक की गयी। सूर्यास्त होने के कारण दिनांकः 07.05.2022 को पुनः 03.00 बजे शुरू की गयी, विपक्षी संख्याः 4 दूसरे दिन दिनांकः 07.05.2022 को कार्यवाही में उपस्थित नहीं रहे। दिनांकः 07.05.2022 की कार्यवाही में प्रतिवादी संख्याः 1 लगायत 3 द्वारा असहयोग व अपने जिम्मेदारियों का दायित्व सही ढंग से निवर्हन न करने के कारण तथा एक दूसरे के उपर आरोप प्रत्यारोप करने के कारण तथा विवादित स्थल पर जिसके बाबत कमीशन रिपोर्ट की मांग की गयी है, उसमें लगभग 100 लोग जो मुसलिम समुदाय के थे तथा उन लोग के इकट्ठा हो जाने के कारण प्रशासन व पुलिस यानी प्रतिवादी 1 लगायत 3 ने असमर्थता जाहिर की कि कमीशन कार्यवाही मुकम्मल रूप से की जा सके। जिसके कारण 04 बजकर 50 मिनट पर यानी 4.50 सायंकाल पर कमीशन की कार्यवाही आगे सम्पन्न नहीं हो सकी। दिनांकः 06.05.2022 को कार्यवाही पक्षगण के पहचान आदि की प्रकिया पूर्ण कर समय लगभग सायं 04.00 बजे कमीशन की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। दौरान कमीशन कार्यवाही विभिन्न विग्रहों का निरीक्षण करते हुए विवादित स्थल के मूल स्थान बैरिकेटिंग के बाहर उत्तर से पश्चिम दिवार के कोने पर पुराने मन्दिरों का मलबा जिस पर देवी–देवताओं की कलाकृति तथा अन्य शिला पट्ट कमल की कलाकृति देखी गयी। पत्थरों के भीतर की तरफ कुछ कलाकृतियां आकार में स्पष्ट रूप से कमल एवं अन्य आकृतियां थी। उत्तर पश्चिम के कोने पर छड़ गिट्टी सीमेन्ट से चबूतरे पर नये निर्माण को देखा जा सकता है। उक्त सभी शिला पट्ट व आकृतियों की वीडियोग्राफी कराई गई। उत्तर से पश्चिम की तरफ चलते हुए मध्य शिला पट्ट पर शेषनाग की कलाकृति नागफन जैसी आकृति देखी गयी, जिसकी वीडियोग्राफी कराई गई। शिलापट्ट पर सिन्दूरी रंग की उभरी हुई कलाकृति देखी गयी, जिसकी वीडियोग्राफी कराई गई। शिलापट्ट पर देव विग्रह जिसमें चार मूर्तियों की आकृति दृष्टव्य है, जिस पर सिन्दूरी रंग लगा हुआ है, चौथी आकृति जो मूर्ति की तरह प्रतीत हो रही है, उस पर सिन्दूर का मोटा लेप लगा हुआ है, जिसकी वीडियोग्राफी कराई गई। आगे कम में दिया जलाने के उपयोग में लाया हुआ प्रतीत होता हुआ त्रिकोणीय ताखा जैसा जिसमें फूल रखे हुए थे, दिखाई दिया, जिसकी वीडियोग्राफी कराई गई। अन्दर की तरफ मिट्टी व एक अलग शिलापट्ट दिख रही है, जिस पर उकेरी हुई आकृति दिखाई दे रही थी, जिसकी वीडियोग्राफी कराई गई। ताखे के नीचे गोल घुमावदार आकृति उकेरी हुई तथा शिलापट्ट पर 4 कलाकृति उकेरी हुई सिन्दूरी रंग की दिखाई दी, जिसकी वीडियोग्राफी कराई गई। शिलापट्ट पर 3 लाईनदार आकृति जो सिन्दूरी रंग में रंगी हुई थी, दिखाई दिया, जिसकी वीडियोग्राफी कराई गई। वीडियोग्राफी कराये गये सभी शिलापट्ट भूमि पर काफी लंबे समय से पड़े प्रतीत हो रहे हैं तथा प्रथम दृष्टया किसी बड़े भवन के खंडित अंश नजर आते हैं। इनके पीछे पूर्व दिशा में बैरिकेडिंग के अंदर व मस्जिद की पश्चिम दीवार के बीच मलबे का ढेर पड़ा है ये शिलापट्ट, पत्थर भी उन्हीं का हिस्सा निरंतरता में होने प्रतीत होते हैं। इन पर उभरी कुछ कलाकृतियां मस्जिद की पीछे की पश्चिम दीवार पर उभरी कलाकृतियो से मेल खाती दिखाई दे रही है। आगे कम में वादीगण के बताने पर विवादित स्थल के मूल स्थान बैरीकेडिंग के अन्दर जाने व प्रशासन से तहखाना खोलने हेतु न्यायालय का आदेश दिखा कर कार्यवाही में सहयोग करने को कहा गया। जिसमें पक्षकारान द्वारा सूर्यास्त का समय होने व पर्याप्त रोशनी के अभाव की असमर्थता बताते हुए कमीशन की कार्यवाही दिनांकः 07.05.2022 को अपरान्ह 03.00 बजे शुरू की जाएगी की सूचना के साथ दिनांकः 06.05.2022 की कार्यवाही 05.45 पर बन्द कर उपस्थित पक्षगणों का

हस्ताक्षर कराया गया। पुनः पूर्व सूचना के आधार पर दिनांकः 07.05.2022 की कार्यवाही विपक्षी संख्याः 4 के काफी इन्तजार के बाद अपरान्ह 03.45 बजे प्रारम्भ की गयी। दिनांकः 07.05.2022 को दौरान कमीशन कार्यवाही वादी के अधिवक्तागण व वादियों के उपस्थिति में विवादित स्थल की बैरिकेडिंग के बाहर से उपरी तौर पर शिनाख्त की गयी एवं उसकी वीडियोग्राफी हुई। मैंने वादिनीगण व उनके अधिवक्तागण से प्रश्न किया कि विवादित स्थल के पश्चिमी दीवार की बैरिकेडिंग के बाहर सिन्दूर लगी 3–4 कलाकृति व चौखट प्रकार का शिलापट्ट ही दावे में वर्णित श्रृंगार गौरी है या नहीं। इसके उत्तर में इनके द्वारा बताया गया कि ये श्रृंगार गौरी मंदिर की चौखट का अवशेष है, उनकी कलाकृतियों के प्रतीक को ही फिलहाल श्रृंगार गौरी मान कर पूजते हैं क्योंकि बैरिकेडिंग के अंदर मुख्य मंदिर या उसके अवशेष तक जाना प्रतिबंधित है। उक्त सभी स्थल को दिखाते हुए वीडियोग्राफी कराई गई। तत्पश्चात बैरिकेडिंग में प्रवेश करने का प्रयास किया गया, परन्तु प्रतिवादीगण 1 से 3 स्थिति स्पष्ट न होने के कारण कमीशन की कार्यवाही दिनांकः 07.05.2022 समय 04.50 सायं बन्द कर दी गयी। सम्पूर्ण कार्यवाही की वीडियोग्राफी न्यायालय के आदेशानुसार सुरक्षित स्थान कोषागार में चिप के रूप में [illegible] सील्ड पैक है जमा की गयी है और न्यायालय के आदेशानुसार न्यायालय में आ [illegible]। A.K. Mishra

संलग्नकः—

1—दिनांकः 06.05.2022 की कमीशन कार्यवाही
2—दिनांकः 07.05.2022 की कमीशन कार्यवाही
3—न्यायालय द्वारा प्राप्त रिट
4—पक्षकारों को सूचना

A.K. Mishra

(अजय कुमार मिश्रा)
कोर्ट अधिवक्ता कमिश्नर
दिनांकः 18.05.2022

न्यायालय ... वाद सं. 693 सन 2021
राखी सिंह वगैरह बनाम स्टेट ऑफ यू.पी. आदि 1
कमीशन कार्यवाही
पृष्ठ 1

माननीय न्यायालय के आदेशानुसार मैं अधोहस्ताक्षरकर्ता मुकदमे में कमिश्नर नियुक्त हुआ। सिविल वाद करने के बाद वादीगण के अधिवक्ता को वांछित स्थल पर रहने के लिए पूर्व में सूचित किया। पूर्व निर्धारित समय पर सूचना के अनुसार वाद सं. 693 सन 2021 राखी सिंह बनाम सरकार उत्तर प्रदेश में 06/05/2022 को वांछित स्थान पर पहुँचा और वहाँ पर वादिनीगण अपने-अपने अधिवक्ता के साथ उपस्थित मिले और विपक्षीगण अपने-अपने अधिवक्ता के साथ उपस्थित मिले। कमीशन की कार्यवाही शाम 4:00 (चार) बजे प्रारम्भ हुयी।

A.K. Mishra Adv
Rais Ahmed Ansari Advocate for Def. No. 4
06-05-2022
[signature] DGC (Civil) for Def. 1
Ramasis ADGC(C) Def. 2
S.K. Pandey ADGC Def. 3

1. [signature] (अधिवक्ता राखी सिंह)
2. Laxmi Devi
3. सीता साहू
4. मंजू व्यास
5. रेखा पाठक
Sudhir Tripathi
पवन कुमार पाठक
Srivastava Adv
[signature]
S.N. Chaube (Rt)

1) [illegible] एडवोकेट काशी विश्वनाथ [illegible]
2) Anshu Dubey (Adv.) श्री काशी विश्वनाथ मन्दिर न्यास, वा०

P.T.O. 2

पृष्ठ 2

दौरान कमीशन कार्यवाही मेजरमेन्ट बिन्दुओं का निरीक्षण करते हुए विवादित स्थल के मूल स्थान बैरिकेटिंग के अन्दर जाने व प्रशासन से तहखाना खोलने हेतु न्यायालय का आदेश दिखा कर कार्यवाही में सहयोग करने को कहा गया जिस पर पक्षकारान द्वारा सुप्रीम्ट का समय होने व पर्याप्त रोशनी के अभाव की असमर्थता बताते हुए कल दि० 07/05/2022 को अपराहन तीन बजे कार्यवाही कमीशन को शुरू की जायेगी। सभी पक्षगण मय अधिवक्ता उपस्थित रहे चूंकि कमीशन कार्यवाही सुचारू रूप से सम्पन्न हो सका दिनांक 06/05/2022 की कार्यवाही 5'45 तक चलाने के बाद दिनांक 07/05/2022 को अपराह्न तीन बजे प्रारम्भ किया जायेगा।

अधिवक्ता कमीशन
A.K. Mishra

वादी
[signatures]
S.N. Chaturvedi (Adv)
Sudhir Tripathi
[signature]
[signature]
ललनकुमार पाठक
दीपक सिंह
रेखा पाठक
Laxmi Devi
मंजु व्यास

प्रतिवादी
[signatures]
6/5/22
Anshu Dubey (Adv)
S.K. Pandey
~~रेखा पाठक~~

कमीशन कार्यवाही दिनांक 06/05/2022 के निरन्तरता में प्रति रखना के क्रम में आज दिनांक 07/05/2022 को समय अपराह्न 3'45 बजे कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। प्रतिवादी सं- 4 व 3 तक अधिवक्ता का काफी इंतजार करने के पश्चात्।

1. H S Jain. Advocate
2. V S Jain Assistant Advocate
3. मोहन लाल आर्य शास्त्री
 लक्ष्मी देवी
4 सीता साहू
(5) मंजू व्यास
(6) रेखा पाठक
(7) Sudhir Tripathi Adv
(8) पवनकुमार पाठक
(9) [illegible]
(10) [illegible] सिंह
(11) सुभाष नन्दन चतुर्वेदी (पु)
(12) [signature]

[signature]
[illegible]
Anshu Dubey (Adv.)

दौरान कमीशन कार्यवाही वादी के अधिवक्तागणों ने बांदनी के उपस्थिति में विवादित स्थल की बैरिकेटिंग के बाहर से ऊपरी तौर पर निशानदेही की गयी एवं उसकी विडियोग्राफी हुयी। तत्पश्चात बैरिकेटिंग में प्रवेश करने हेतु प्रयास किया गया जिस पर प्रतिवादी संख्या 1 से 3 तक एक दूसरे पर अधिकार का भार सौंपते रहे। जिसके कारण स्थिति स्पष्ट नहीं होने के कारण कमीशन की कार्यवाही नहीं हो सकी। प्रशासन के असहयोग व विवशता के कारण आज की कार्यवाही ~~आग~~ स्थगित की जाती है समय 4:50 बजे सायं

A.K.Mishra

7/05/022

Shivam Adv

Def. No-5.
Anshu Dubey (Adv.)
Def. 5

पवन कुमार पाठक
मोहनलाल ...

Sudhir Tripathi Adv
सुभाष चन्द्र चतुर्वेदी (PS)
मनोज कुमार
दीपक सिंह
रेखा पाठक
मंजू व्यास
सीता साहू